



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 1106 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

दिनांक 11 / 12 / 2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट (उत्तरकाशी)।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (कुल लम्बाई 10 कि0मी0) हेतु 3.64 हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सं0 1041 / 12-1 दिनांक, बडकोट, नवम्बर, 01,2017

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/9709/2015 में लगायी गयी ई0डी0एस0 क्वेरी में बिन्दु सं0 06, 08, 09 एवं 10 पार्ट-II की है। जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है एवं शेष अन्य बिन्दु पार्ट-I में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है-

आपत्ति	निराकरण
1- KML file of the proposed road uploaded online at para-C(ii) of part-I Shows presence of private land adjoining to the forest from where the road starts. Keeping in view the involvement of 3.290 ha of Reserve Forest land and 528 trees on forest land, the State Gove. May explore possibility of exploring alternate alignment or the first few KM of the proposed alignment to reduce the extent RF land and number of trees.	Part-I ऑनलाईन Para के C(ii) में संलग्न KML file में तकनीकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से चयनित मार्ग के समरेखण में न्यूनतम 528 वृक्ष आरक्षित वन भूमि एवं 8 वृक्ष नाप भूमि कुल 536 वृक्ष बाधित हो रहे हैं, जो न्यूनतम हैं। आरक्षित वन भूमि 3.290 हे0 एवं सिविल सोयम 0.350 हे0 भूमि कुल वन भूमि 3.640 हे0 को 7 मी0 चौ0 में अध्यारोपित किया गया है ताकि न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। तथा न्यूनतम प्रयुक्त वनभूमि का जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वनभूमि का उपयोग का प्रमाण पत्र एवं इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने का प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है। यह मोटर मार्ग ग्राम स्यालना, भन्साड़ी को संयोजित करेगा, जिनकी जनसंख्या 1178 है अतः अध्यारोपित की जाने वाली वन भूमि जनहित में न्याय संगत है। अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है, चूंकि वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा 10 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है अतः जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है।
2- FRA certificate uploaded at para-K Part-I online is undated and the proceedings of the meeting of Sub-Divisional Level Committee and meetings of the Gram Sabhas of the 2 villages invole in this proposal is not provided.	Part-I ऑनलाईन Para K में वनाधिकार अधिनियम-2006 एफ0आर0ए0 के सभी प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
3- At online Part-I para-L (iv) (b), the area of this patch of CA is shown as 6.076 ha whereas in the Ownership proof uploaded at L (iv)(f) Part-I only 3.64 ha Civil Land in Syalna village has been mentioned to be earmarked for CA. Suitability certificate for CA area (village pali) o some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded.	Part-I ऑनलाईन Para L के (IV) (b), (f) एवं MOU, (g) में यथास्थान संशोधित प्रपत्र अपलोड कर हार्ड प्रति संलग्न की जा रही है।
4- The details of CA area for patch 2 uploaded at para-L (iv) area of forst land proposed for CA is not mentioned correctly. Further, in the MOU at L(iv) (g) Part-I, suitability certificate for CA area (village Pali) of some other road named Pujar Gaon to Pali M/R has been uploaded, In addition, in the non-encumbrance certificate at L (iv) (h) Part-I online, certificate of minimum use of forest land has been uploaded.	Part-I ऑनलाईन Para L के (IV), (f), MOU, (g) एवं Non-encumbrance certificate सम्बन्धित संशोधित सभी प्रपत्र यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है।

5-	As per Decision Support System (DSS) Analysis in KML file of area proposed for CA uploaded in Part I online the extent of area is 6.62 ha for patch-1 instead of 6.076 ha and 1.74 ha for patch-2 instead of 1.204 ha area proposed or CA. Further, 2 ha area of patch-1 and ha 1 ha area of patch-2 is on Moderately dense Forest (MDF). State govt. may upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA after excluding the MDF area. Revised digital map may also be uploade/provided accordingly showing coordinates for correct extent of area proposed for CA.	ऑनलाईन Part-I में CA के संशोधित डिजिटल मैप (जियोरिफरेन्स), KML file जोकि two patch में 7.28 है0 का क्षेत्रफल है। सभी मानचित्रों का यथास्थान अपलोड कर हार्ड प्रति संलग्न की जा रही है।
6-	In the Ca scheme uploade as additional II online the CA area is mentioned as Bhansadi Soyam whereas at pare-13 (i) Part-II and in other documents of CA like Ownership proof, non-encumbrance certificate etc. the area is shown as Syalana Soyam.	ऑनलाईन Part-I में CA हेतु जिलाधिकारी द्वारा दी गयी भूमि ग्राम स्यालना में है, जोकि स्पष्ट है। इस आपत्ति का निराकरण Part-II में स्यालना किया जाना है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को संशोधन हेतु अभिलेख संलग्न किये गये हैं। अतः इस क्वेरी का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट, उत्तरकाशी द्वारा होना है।
7-	As per muck disposal plan attached as additional document online Part-I the muck is proposed to be disposed at 5 muck dumping points on forest/Civil land. However, this requirement of forest/Civil land for muck dumping has not been included in the forest land proposed for diversion as the component wise breakup at para-B 2.4 of online Part-I shows the whole 3.64 ha forest land for foad construction. In addition, MOC of few villagers for dumping muck on their private land are also provided/uploaded which is not understood.	चूंकि इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मलवा निस्तारण (Muck disposal) कास्तकारों की नाप भूमि में किया जाना है। तथा Muck disposal हेतु ग्रामीणों की स्पष्ट NOC की हार्ड प्रति भी प्रेषित की जा रही है।
8-	In the additional documents at sr. no. 5 uploaded in Part-I the density is mentioned as 0.4 whereas in para-4 (ii) of Part-II online the density is mentioned as 0.5 may indicate correct density and revise NPV bill also if required.	Part-I में आवश्यक वनस्पति घनत्व (density) के संशोधित प्रपत्र अपलोड किये जा चुके हैं। जिसमें वनस्पति घनत्व 0.5 है। चूंकि संशोधन पार्ट 2 में भी होना है। अतः इस क्वेरी का निराकरण हेतु अभिलेख संलग्न कर DFO बड़कोट उत्तरकाशी को part-II में संशोधन हेतु सूचित किया गया है। जिसका निराकरण उनके स्तर से किया जाना है।
9-	In District Profile given in Part II the data given about CA stipulated is not commensurate with the forest land diverted since against 135.1275 ha land diverted 224.62 ha CA have been shown stipulated. This may be reviewed.	यह आपत्ति part-II से सम्बन्धित है। जिसका निराकरण भी प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है।
10-	At para-15 of online Part-II, the date of visit is mentioned as 01.12.2015 whereas in the Site Inspection report the date of inspection is mentioned as 29.07.2013.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की संशोधित प्रपत्र पार्ट-1 में अपलोड किये जा चुके हैं। चूंकि आवश्यक संशोधन part-II में भी प्रभागीय वन DFO बड़कोट द्वारा ही किया जाना है। अतः आपत्ति का निराकरण DFO स्तर से होना है।

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये हैं एवं आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।


 अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
 पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / पुरोला / तदिनांक
 प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फोरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
 पुरोला (उत्तरकाशी)

35

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्थालाना - अन्साड़ी ग्रेटर आर्गे में प्रयुक्त होने वाली भूमि के निर्माण हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। किन्तु अन्य विकल्पों पर अधिक भूमि तथा अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण प्रस्तावित समरेखण ही स्वीकृत किया गया है। इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

35
JE

सहायक अभियन्ता
पिंताई खण्ड लो० नि० डि०
उत्तरकाशी

एच. ए. ए. ए. ए.
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

प्रतिष्ठता अर्पित

उप-प्रभारिता (सुदमीन कारी)
हनुमन्त नगर प्रभाव
उत्तरकाशी

प्रभारिता (सुदमीन कारी)
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:- स्यालना से भन्साडी मोटर मार्ग।

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्यालना से भन्साडी मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि में कार्य हेतु 3.640 हे० वन भूमि प्रयोग की जायेगी। यह न्यूनतम है। इसके कम भूमि में कार्य करना सम्भव नहीं है।

1. वन भूमि का प्रीमियम जो शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्तें निर्धारित की जायेगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो.नि.वि.
उत्तरकाशी


अधीक्षक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो.नि.वि.
उत्तरकाशी



Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Puroia (Uttarkashi)


AR
UR

न्यूनतम सोयम वन भूमि का प्रमाण-पत्र (जिलाधिकारी द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि स्थालना - अन्खाडी गोटर् जार्ग के निर्गर्ध
में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प
नहीं है।


रफ निर
वडकोट


जिलाधिकारी
वडकोट


16/9/14
उप जिलाधिकारी
वडकोट
उत्तरकशी


उप जिलाधिकारी
वडकोट
उत्तरकशी




P.M. G...
P... ..

MOU/Aggrement

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता हेतु संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाडी तक मोटर मार्ग (10.40 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि सिविल सोयम एवं वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.640 हे० है के हस्तान्तरण मामले में दुगुने क्षेत्रफल 7.280 हे० के अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा स्यालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


क्रम सं०	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा न०	कुल रकबा है०	अर्जित रकबा है०	
1-	उत्तरकाशी	बड़काटे	बड़काटे	बड़काटे	स्यालना	23	6324	6.118	6.076 हे०	है०
2-	उत्तरकाशी	-"-	-"-	-"-	-"-	23	6557	1.341	1.204	है०
							कुल	7.280	है०	


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार



तहसीलदार
बड़काटे (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -7 के अन्तर्गत खरादी
से स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग का निर्माण

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता कि खरादी से स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि खसरा संख्या 6324 म. रक्वा 6.076 हे०, 6557म. रक्वा
1.204 हे० कुल रक्वा 7.280 हे० उत्तराखण्ड सरकार 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह
भूमि राजस्व विभाग बड़कोट के स्वामित्व में है । एवं इस भूमि पर किसी भी प्रकार
का कानूनी विवाद नहीं है ।


15/11/2017
तहसीलदार
बड़कोट


R.S. 2

4/11/17
उपजिलाधिकारी
बड़कोट
उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तराखण्ड)


I.E


I.E


I.E

सहमति पत्र ग्राम-स्यारना

आज दि० 30-07-2014 को आम सभा की बैठक आहुत की गई जिसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा सड़क निर्माण से उत्पन्न होने वाले मलबे के निस्तारण हेतु अपनी भूमि की सम० जी० स्वस० बार्ड, सि० ख० पुरोना को दी जाने की सहमति प्रकट की।

उक्त भूमि का खसरा न० निम्न प्रकार है।

खेत न०	खसरा न०	नाम स्वतरेदार	हस्ताक्षर
1906	0.004	बिहारी आदि	 बिहारी
1907	0.010	भजन सिंह आदि	भजन सिंह
1910	0.021	किताब सिंह	किताब सिंह
1911	0.028	भजन सिंह	भजन सिंह
2301	0.030	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
2303	0.021	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
2304	0.016	— " —	— " —
2305	0.006	— " —	— " —
2308	0.018	हुकूम सिंह आदि	हुकूम सिंह
2310	0.015	चतुर सिंह	चतुर सिंह
1761	0.053	किताब सिंह	किताब सिंह
1762	0.013	— " —	— " —
1763	0.009	सुन्दर सिंह आदि	सुन्दर सिंह
1764	0.024	केन्द्र सिंह	केन्द्र सिंह
1765	0.009	बेलकेई आदि	बेलकेई
1767	0.008	दमिग्राम सिंह	दमिग्राम सिंह
1768	0.009	केन्द्र सिंह	केन्द्र सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत स्यारना
 30/07/2014

सहमति पत्र गांव अन्साही

आज दि. 5-4-09 को आम सभा की बैठक में सभी उपस्थितों द्वारा सड़क निर्माण हेतु इच्छा व्यक्त की गई है। इस सभा में सभी ग्रामीणों का सहमति प्राप्त है। इस सभा में सभी ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि सिन्धुई एवं पी.एम.जी.एस.वाई फुल्लिबि उत्तर काशी को अन्साही निरंतरता हेतु दे ली गई है।
 की सहमति प्रकर की है।
 अतः अन्साही का सड़क निर्माण में निरंतरता है।

- | | | |
|----------------|-----------------------|---------|
| 1) 423 - 0.015 | राजेश सिंह | अन्साही |
| 2) 186 - 0.040 | शशीत लाल | अन्साही |
| 3) 184 - 0.015 | राजेश सिंह | अन्साही |
| 4) 424 - 0.04 | रुक्म सिंह | अन्साही |
| 5) 425 - 0.010 | --- | अन्साही |
| 6) 427 - 0.010 | राजेश सिंह | अन्साही |

मोटा - 6 - 0.094 हेठ


अमीन
 अफिम सुभाय

Photo Copied
 सहमति पत्र अन्साही
 दिनांक - 5/4/09

जीयोरेफरेन्स मैप - जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्थालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (स्थालना सिबिल)



Scale - 1:5,000
0 0.05 0.1 0.2 Km



Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Land

Ankurajada
 Assistant Engineer P.M.G.S.Y. Irrigation Division
 Uttarkashi
 Executive Engineer
 Purota (Uttarkashi)

बम-आधकारी
 रखाई बन राजि
 बडकोट (उत्तरकाशी)

रप प्रभागीय वनाधिकारी
 अपर प्रभागीय वन प्रभाग
 बीपीव - उत्तरकाशी


प्रभागीय वनाधिकारी
 अपर यमुना वन प्रभाग
 बडकोट (उत्तरकाशी)

ID	Longitude	Latitude
1	78°18' 3.372" E	30°50' 12.965" N
2	78°18' 4.007" E	30°50' 11.024" N
3	78°18' 6.518" E	30°50' 11.204" N
4	78°18' 11.130" E	30°50' 12.237" N
5	78°18' 14.415" E	30°50' 12.898" N
6	78°18' 18.515" E	30°50' 13.612" N
7	78°18' 18.989" E	30°50' 15.306" N
8	78°18' 13.329" E	30°50' 16.465" N
9	78°18' 13.552" E	30°50' 14.316" N
10	78°18' 9.938" E	30°50' 13.124" N
11	78°18' 5.721" E	30°50' 15.233" N
12	78°18' 2.549" E	30°50' 15.478" N
13	78°17' 56.382" E	30°50' 17.926" N
14	78°17' 55.328" E	30°50' 18.860" N
15	78°17' 49.483" E	30°50' 18.564" N
16	78°17' 52.886" E	30°50' 15.786" N
17	78°17' 55.079" E	30°50' 15.091" N
18	78°17' 59.631" E	30°50' 13.333" N
19	78°17' 53.416" E	30°50' 23.269" N
20	78°17' 49.538" E	30°50' 23.410" N
21	78°17' 45.437" E	30°50' 23.713" N
22	78°17' 48.654" E	30°50' 21.388" N
23	78°17' 54.473" E	30°50' 21.507" N

डिजिटल मानचित्र - जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (स्यालना सिविल)

0 0.5 1 2 Km

1 : 50,000



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Am Singh
Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Jay
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

Am Singh
वन प्रभाग अधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट - उत्तरकाशी

Am Singh

Am Singh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
नोगांव - उत्तरकाशी

Am Singh
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत खरादी
स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.64 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम स्यालना सोयम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित
किया गया क्षेत्र वन प्रबन्ध की दृष्टि से सर्वदा उपयुक्त है।


वन अधिकारी
खरादी वन राज
बड़कोट, उत्तरकाशी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from EE ID P.W.D Uttarkashi for diversion under FCA-1980) of 3.640 ha of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of visit Syalna Bhansari Moter Marg. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 07-07-2017

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 3.640 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If,so the details there of :- No

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important moument is located in the area, of, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :- nill

- b) The user agency has not violated the provision of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)
- b) As such, recommendation is been provided.

Recomended for sanction

Place :- Barkot

Date :- 07-07-2017

(Signature)

Name (J.P. Singh)

Designation प्रभागीय वन अधिकारी

Office Seal अपर यमुना वन प्रभाग

बड़कोट (उत्तरकाशी)

N.B

- x State the purpose for which the forest land is proposed to diverted.
- Xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darterd 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involvion less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.